उत्कल मेल
10 जून 2015

कैबिनेट से मिली झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी

मलूटी मंदिर समूह के विकास और संरक्षण के लिए आइटीआरएचडी और पर्यटन विभाग में एमओयू को भी मंजूरी

सैप के अधिकारियों और कर्मियों का मानदेय बढ़ा

बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी

संवाददाता

रांची : राज्य के पर्यटन स्थलों के दिन बहुरनेवाले हैं। वहीं अपने मंदिरों के लिए देशभर में ख्यात दुमका के मलूटी मंदिर समूहों का भी जीर्णोद्धार होगा। इसकी वजह यह है कि मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई वहीं मलूटी मंदिर समूहों के संरक्षण और विकास के लिए आइटीआरएचडी और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए टूरिज्म सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने बताया कि देखरेख के अभाव में दुमका स्थित मलूटी मंदिरों का क्षय हो रहा था। अब उसे पुनर्जीवित करने के साथ सुसज्जित किया जायेगा। लांग टर्म में उन्हें डेवलप करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आइटीआरएचडी नाम के ट्रस्ट के साथ एमओयू किया है। यह ट्रस्ट कई राज्यों में पुरातात्विक महत्व के स्थलों के संरक्षण का काम करती आ रही है।

टूरिज्म पॉलिसी से तेजी से होगा पर्यटन स्थलों का विकास

अविनाश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार की नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत सरकार पर्यटन स्थलों के विकास के लिए फैशिलिटेटर और कैटेलिस्ट के रुप में काम करेगी। पर्यटन स्थलों पर पानी, बिजली और सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जो लोग निवेश करना चाहेंगे, उन्हें भी राज्य सरकार सुविधा मुहैया कराएगी। ज्वाइंट वेंचर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। टुरिज्म स्थलों के विकास के लिए कंसलटेंट की सेवाएं ली जायेंगी वहीं इसके लिए कैपेन भी चलाए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर थाना और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षा मुहैया कराई जायेगी। पारसनाथ और रजरप्पा जैसे धार्मिक महत्व के स्थलों पर एक ऑथिरिटी का सृजन किया जायेगा। जिससे इन स्थलों को मास्टर प्लान बनाकर विकसित किया जा सके।

इको और माइनिंग टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने बताया कि सरकार रिलीजियस, कल्चरल और इको टूरिज्म के साथ एडवेंचर और माइनिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। इन सबके साथ वे साइड एमिनिटीज और टेंट टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जायेगा। वन विभागों के दूरस्थ स्थलों पर बने डाकबंगलो को भी लोगों को रहने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करनेवाले संस्थानों को वित्तीय सहायता और टैक्स में छूट दी जायेगी। संस्थाओं को टूरिज्म यूनिट शुरु करने पर सब्सिडी भी दी जायेगी। पर्यटन स्थलों में पूंजी निवेश करनेवाली संस्थाओं के लिए सभी प्रकार के टैक्स में विशेष छूट दी जायेगी। पर्यटकों को सुरक्षा देने के लिए टूरिस्ट सिक्यूरिटी फोर्स की भी व्यवस्था की जायेगी। पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए झारखंड में उच्च स्तरीय टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जायेगा। जेटीडीसी को रिस्ट्रक्चर किया जायेगा। सरकार राज्य में टूरिज्म ट्रेड फैशिलिटेशन एक्ट लायेगी। वहीं पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए सर्किट डेवलप किया जायेगा। कैबिनेट के अन्य दस फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव एसके सत्पथी ने दी।

यह है कैबिनेट के अन्य फैसले

⇨बायोमेट्रिक अटेंडेंस नियमावली को मंजूरी। इसे वेतन से लिंक किया जायेगा। अधिकारियों और कर्मियों का वेतन बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा।

⇨ स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन को अब विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन के रुप में जाना जायेगा। इसमें कांस्टेबल के सभी पद आदिम जनजातियों से भरे जायेंगी। नियुक्ति के लिए योग्यता सातवीं पास होगी और शारीरिक अर्हताओं में भी उन्हें छूट दी जायेगी।

⇨झारखंड मोटरयान निरीक्षक नियमावली में भी लिखित परीक्षा में पास होने के लिए सामन्य जाति के उम्मीदवारों को जहां 45 फीसदी अंक लाने होते थे और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत उसे घटाकर अब सामान्य जाति के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5 फीसदी अंक लाने होंगे।

⇨राज्य की सीएसआर पॉलिसी के तहत औद्योगिक घराने आइटीआई चला सकेंगे।

⇨झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन। अब खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति वर्दीधारी विभागों में की जायेगी।

⇨भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को बरही के गौरियाकरमा स्थित केंद्र में एक हजार एकड़ जमीन देने को मंजूरी

⇨नामकुम के खरसीदाग और चान्हों के बलसोगरा में पुलिस आउटपोस्ट के निर्माण को मंजूरी

⇨सैप के अधिकारियों और जवानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी

⇨राज्य वित्त निगम में पंद्रह पदों के सृजन को मंजूरी